

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 13/2024
रजिस्ट्रेशन नं. :2024/14

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा (राज)

अभियुक्त :-

बनाम

1. श्री कायद जौहर पुत्र श्री शब्बीर निवासी नई आबादी, गोल चौराहा, बांसवाड़ा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स मरजान ग्रोसरी, नई आबादी गोल चौराहा, बांसवाड़ा
2. श्री नगीन लाल पुत्र रुप चन्द शाह (विक्रेता/मालिक) मैसर्स शाह एजेन्सी, कस्टम चौराहा, बांसवाड़ा
3. श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री शंकरलाल जैन निवासी वार्ड नं. 6, आदित्यवाड़ा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स अशोक कुमार शंकरलाल जैन, सागवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 11-03-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री शशिकांत शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 11-01-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 19-01-2023 को 5.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स मरजान ग्रोसरी, नई आबादी गोल चौराहा, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री कायद जौहर पुत्र श्री शब्बीर उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में मरजान ग्रोसरी, नई आबादी गोल चौराहा, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर दुकान में घी (महान) 500 एम.एल के 8 पैकेट विक्रय हेतु रखे थे। उक्त घी (महान) में गुणवत्ता की कमी/मिसब्राण्ड का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए घी (महान) के 4 पैकेट दुकान में 500 एम.एल वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 1080/- रु. दिनांक 11-03-2024 को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक

कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा घी (महान) के 4 पैकेट प्रत्येक में 500 एम.एल के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1276** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/53 दिनांक 06-02-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 75 दिनांक 31-01-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया घी (महान) का नमूना कोड क्रमांक **W-1276** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। श्री कायद जौहर पुत्र श्री शब्बीर को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने व अग्रिम बिल की सूचना चाहने पर मैसर्स शाह एजेन्सी, कस्टम चौराहा, बांसवाडा का अग्रिम खरीद बिल प्रस्तुत किया। मैसर्स शाह एजेन्सी, कस्टम चौराहा, बांसवाडा को पत्र लिख कर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने पर बताया गया कि मैसर्स अशोक कुमार शंकरलाल जैन, सागवाडा से क्रय किया गया है। विक्रेता द्वारा घी (महान) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 11-01-2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणों को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 12-02-2024 को अप्रार्थी सं. 1 ने तथा दिनांक 26.02.2024 को अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाड़ा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/53 दिनांक 06-02-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 75 दिनांक 31-01-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया घी (महान) का नमूना कोड क्रमांक W-1276 Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणों द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड पाया गया घी (महान) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणों को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री कायद जौहर पुत्र श्री शब्बीर निवासी नई आबादी, गोल चौराहा, बांसवाड़ा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स मरजान ग्रेसरी, नई आबादी गोल चौराहा, बांसवाड़ा को रूपये 5000/- (अक्षरे पाँच हजार रुपया मात्र), श्री नगीन लाल पुत्र रुप चन्द शाह (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स शाह एजेन्सी, कस्टम चौराहा, बांसवाड़ा को रूपये 10000/- (अक्षरे दस हजार रुपया मात्र), श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री शंकरलाल जैन निवासी वार्ड नं. 6, आदित्यवाड़ा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स अशोक कुमार शंकरलाल जैन, सागवाड़ा को रूपये 25000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 11-03-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)